बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

कार्यालय – आदेश

कार्यालय आदेश सं0–4/वि01–125/16– 254 पटना, दिनांकः– 24/11/16

निदेशानुसार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार की निबंधन नियमावली से संबंधित अधिसूचना सं0–552–सह–पठित ज्ञापांक–553, दिनांक–28.05.2009 में निम्नांकित विन्दुओं को निबंधन संबंधी प्रकिया को वैध एवं नियमसंगत बनाने हेतु नियमावली के प्रावधानों के साथ सन्निहित किया जाता है–

(क) विभाग में निबंधन से पूर्व संवेदकों से पूर्व से निलंबित अथवा काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ–पत्र की संलग्नता अनिवार्य होगी।

(ख) आवेदक के PAN Card पर अंकित हस्ताक्षर ही आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्रों पर मान्य होगा।

(ग) वांछित सभी कागजात की स्वच्छ, पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित तथा राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाए।

(घ) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के स्थान पर उप निदेशक (मूल्यांकण/Deputy Director (Evaluation) के नाम से ड्राफ्टमूल में संलग्न किया जाए।

(ड.) नियमावली के अनुरूप आवेदन के प्रपत्र परिशिष्ठ 'ख' को दो भाग में–आवेदक के उपयोग के लिए और कार्यालय के उपयोग के लिए विभाजित किया जाए।

इस संबंध में पूर्व से निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाए। शेष सभी प्रावधान यथावत् रहेंगे ।

2. आदेश पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/–
(सतीश चन्द्र मिश्र)
मुख्य अभि0 (रुपांकन)

ज्ञापांकः– 394 **पटना, दिनांकः–** 24/11/16

प्रतिलिपिः–मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव कोषांग/संबंधित सहायक/आई0 टी0 मैनेजर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(सतीश चन्द्र मिश्र)
मुख्य अभि0 (रुपांकन)

प्रतिलिपिः–सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधी0 अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.11.16

(सतीश चन्द्र मिश्र)
मुख्य अभि0 (रुपांकन)